तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।	

वकील अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन वाद को तनकीह की स्टेज पर ही लोक अदालत शिविर-प्रशासन गांवों के संग अभियान में ही निपटा दिया। अपीलांट ने दावा पुश्तैनी भूमि बाबत किया था जिसके बारे में कोई साक्ष्य सबूत लेने पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए मामले का निर्णय गुणावगुण पर होना उचित है लिहाजा अपील स्वीकार निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि कैम्प में सभी वादीगण (अपीलांट्स) उपस्थित थे। उन्हें सुनकर निर्णय किया गया है। रेस्पोन्डेंट सं. सभी क्रेता होकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार होकर खे.नं. 465/150 रकबा 35-08 बीघा पर काबिज काश्त है। यह बेचान बाकायदा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये है और प्रभावी है, इसे सक्षम न्यायालय से शून्य एवं निष्प्रभावी करार दिये जाने तक, इस पर अपीलांट का विधि सम्मत कोई हक-हकूक नहीं है। अपील निरस्त फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय बहाल रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देखने से स्पष्ट है कि वे उन पर सम्यक तामील नहीं हुए व सभी एक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किये गए। विधिवत रूप से सम्मन/नोटिस चस्पा की कार्यवाही में 2 स्वतंत्र मौतबिरान की मौजूदगी के स्वरूप हस्ताक्षरों का अभाव है। अतः अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं विधि विरुद्ध है।

अधीनस्थ अदालत में प्रस्तुत वाद के तहत वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी करार दी जाकर वादीनी सफदा और पत्नी (वादीगण पुत्र 4 की माता) भाया की पुत्रियां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्मजात हक-हकूक निहित होना कथित करते दावा लाई है जिस पर साक्ष्य-सबूत लेकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा। केवल क्षेत्राधिकार के बिंदु पर दावा निर्णीत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर F.D

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम [illegible] हुक्म के [illegible] में ज[illegible]
	किया जाने से अपीलांट के हकों पर प्रभाव पड़ा है। यदि अपीलांट वाद-बिन्दुओं (विवाद्यकों) के निर्धारण पश्चात् साक्ष्य/सबूत के समुचित अवसर पश्चात् दावा सिद्ध कर पाते हैं तो तदनुसार ही निर्णय होना बेहतर होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वह समुचित तामील पश्चात् वाद में बाद तनकीह कायमी उभय पक्ष को साक्ष्य/सबूत पेश करने एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करे। फैसला खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर